


संख्या-1/स्था० (7) 702/2017

बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

आदेश


पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालयों में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के रूप में स्थानीय व्यवस्था के तहत कार्यरत में बिहार कोषागार संहिता-2011 के नियम-84 के तहत स्थायी पदस्थापन होने तक जिला पशुपालन पदाधिकारी, समस्तीपुर कार्यालय की स्थापना मद से निकासी हेतु डा० गणेश चन्द्र झा, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, समस्तीपुर को निकासी एवं व्ययन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।


(ब्रजेश्वर पाण्डेय)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-1/स्था० (7) 702/2017...1549.../पटना-15 दिनांक-...11/05/2018


प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/जिला कोषागार पदा०, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(ब्रजेश्वर पाण्डेय)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-1/स्था० (7) 702/2017...1549.../पटना-15 दिनांक-...11/05/2018

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/ सचिव के आप्त सचिव/अपर सचिव के आप्त सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/ प्रमंडलीय आयुक्त दरभंगा/जिला पदा० समस्तीपुर/निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना/क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन दरभंगा क्षेत्र, दरभंगा/जिला पशुपालन पदा०, समस्तीपुर/सभी संबंधित पदाधिकारी/प्रशाखा पदा०, प्रशाखा-2 एवं 5/विभागीय आई०टी० मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(ब्रजेश्वर पाण्डेय)

सरकार के अवर सचिव।